Phone & Fax no.0135-2431159 *email: cfbhagi-forest-uk@nic.in*

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती।

पत्रांक – 837 /12–1 मुनिकीरेती, दिनांक 21 /~~09~~ 10 /2022,।

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोड़ल अधिकारी
वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अन्तर्गत लालुरी कोटी मैहरों की मंजखेत मोटर मार्ग के मंजखेत से मोरियाणा तक नव निर्माण कार्य 4.650 कि0मी0 तक के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (Online No-FP/UK/ROAD/49876/2020)**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–1529/**FP/UK/ROAD/49876/2020**), दिनांक–23.12.2021 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी का पत्रांक–658/12–1, दि0–08.09.2022।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक–1216/13 एम0जी0, दिनांक–02.06.2022 एवं पत्रांक–2177/13 एम0जी0, दिनांक–01.09.2022 से निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा हैः–

S. No.	बिन्दुवार लगाई गयी आपत्तियां	निराकरण
1	प्रस्ताव के संलग्न समस्त प्रारूप पर पृष्ठ संख्या अंकित की जाय।	समस्त प्रारूप पर पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 में रोजगार पैदा होने वाला कॉलम रिक्त है। रोजगार पैदा होने की सम्भावना एवं मान दिवस अंकित किये जायें।	प्रस्ताव में संलग्न भाग–1 में रोजगार पैदा होने वाले कॉलम को भर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न भाग–2 में स्थान एवं दिनांक अंकित की जाय।	भाग–2 में स्थान व दिनांक अंकित कर दिया गया है।
4	प्रारूप–6/संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट में वन एवं राजस्व भूमि प्रभावित होना उल्लिखित है, जबकि भाग–01 में आरक्षित वन भूमि एवं नाप भूमि प्रभावित होगी अंकित है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रारूप–6/संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट में व भाग–1 में आरक्षित वन भूमि व नाप भूमि अंकित कर दिया गया है। वास्तविक रूप से परियोजना में नाप भूमि प्रभावित हो रही है।
5	प्रस्ताव में परियोजना निर्माण हेतु दो डिजिटल मैप संलग्न है। स्थिति स्पष्ट करें।	सही डिजिटल मैप संलग्न कर दिया गया है।
6	प्रारूप–06/प्रारम्भिक संयुक्त रिर्पोट एवं प्रारूप 11/वन भूमि की मांग का औचित्य में बांज एवं बुरांश वृक्षों की संख्या मे भिन्नता है।	प्रारू–6/प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण में बांज एवं बुरांश के 124 वृक्ष प्रभावित होने प्रस्तावित है जिसके अनुसार प्रारूप–11/वन भूमि की मांग का औचित्य में बांज व बुरांश के वृक्षों की संख्या को सही कर 124 कर दिया गया है।
7	परियोजना निर्माण में प्रभावित होने वाली नाप भूमि का लैण्ड शैड्यूल प्रस्ताव में संलग्न है, जिसके अनुसार भाग–1 में प्रभावित होने वाली भूमि में भिन्नता है। इसके अतिरिक्त बार चार्ट का तदनुसार परीक्षण करायें।	परियोजना निर्माण में प्रस्तावित कुल नाप भूमि 0.330है0 में से 0.280 है0 भूमि सड़क निर्माण हेतु एवं 0.050 है नाप भूमि डम्पिंग जोन हेतु स्वीकृत है तदनुसार बार चार्ट में संशोधन कर दिया गया है।

8	परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाली वृक्षों की सूची में आरक्षित एवं सिविल सोयम भूमि उल्लिखित है, जबकि भाग-01 के अनुसार सिविल सोयम भूमि प्रभावित नहीं होगी।	परियोजना निर्माण से प्रभावित होने वाली वृक्षों की सूची में संशोधन कर आरक्षित वन एवं नाप भूमि अंकित कर दिया गया है।
9	वन अधिकार अधिनियम 2006 में संलग्न प्रारूप 30.1 में रिक्त स्थानों को भरा जाये।	वन अधिकार अधिनियम 2006 में संलग्न प्रारूप 30.1 में रिक्त स्थानों को भर दिया गया है।
10	उपखण्ड स्तरीय समिति में पत्रांक एवं दिनांक अपेक्षित है।	उपखण्ड स्तरीय समिति में पत्रांक एवं दिनांक अंकित कर दिया गया है।
11	ग्राम स्तरीय समिति के अभिलेख ग्रामीणों की सहमति प्रस्ताव में संलग्न किया जाना अपेक्षित है।	ग्राम स्तरीय समिति के अभिलेख ग्रामीणों की सहमति सहित संलग्न कर दिये गये है।
12	परियोजना निर्माण हेतु यदि नाप भूमि प्रभावित होगी तो सम्बन्धित भूमिधरों के स्वामित्व प्रमाण पत्र एवं आनपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न किये जायें।	परियोजना निर्माण हेतु नाप भूमि से सम्बन्धित भूमिधारकों के स्वामित्व एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिये गये है।
13	प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न प्रपत्रों के अनुसार मार्ग की लम्बाई 4.650 कि0मी0 है जबकि मार्ग निर्माण की वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति 08 कि0मी0 की है। स्थिति स्पष्ट करें।	मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 8.00 कि0मी0 है। परन्तु लाभान्वित ग्राम को मात्र 4.650 कि0मी0 लम्बाई से ही लाभ मिल रहा है, जिस कारण उक्त मार्ग के निर्माण की लम्बाई 4.650 कि0मी0 दी गयी है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार :-

भवदीय,

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

संख्या:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक